न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 82/2019 (Bank Case)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा केशवपुरा कोटा जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. मैसर्स सुहाना स्टोन इण्डस्ट्रीज
   पता– (अ) 48, प्रगति नगर, प्रगति स्कूल के पीछे, पुलिस लाईन, कोटा राज0
   (ब) खसरा नं0 1604, ग्राम–मण्डाना, तहसील–लाडपुरा जिला–कोटा राज0
2. मुबारक अली पुत्र श्री ईशाक मोहम्मद (पार्टनर एवं गारन्टर)
   48, प्रगति नगर, प्रगति स्कूल के पीछे, पुलिस लाईन, कोटा
3. श्री मोहम्मद नासिर पुत्र श्री हमजा सुल्तान (पार्टनर एवं गारन्टर)
   48, प्रगति नगर, प्रगति स्कूल के पीछे, पुलिस लाईन, कोटा

–(ऋणी)
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 09.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा केशवपुरा कोटा से अप्रार्थी ने ओवर ड्राफ्ट लोन (एसएमई) खाते (खाता नं0 36580400000127) में रू0 15,00,000/– टर्म लोन– प्रथम खाते में दिनांक 31.3.2017 को खाता नं0 36580600000612 में रू0 16,70,000/–, टर्म लोन–द्वितीय खाते में दिनांक 12.10.2015 को खाता नं0 36580600000439 में रू0 50,00,000/– टर्म लोन तृतीय खात में दिनांक 19.12.2015 को खाता नं0 36580600000495 में रू0 13,50,000/– इस प्रकार समस्त खातों में कुल 95,20,000/– (अक्षरे रूपये पिन्चानवें लाख, बीस हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति मैसर्स सुहाना स्टोन इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर्स श्री मुबारक अली पुत्र श्री ईशाक मोहम्मद एवं श्री मोहम्मद नासिर पुत्र श्री हमजा सुल्तान की खसरा नं0 1604 का दक्षिणी हिस्सा, ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित औद्योगिक सम्पत्ति बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 0.28 हेक्टेयर जिसका कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा आदेश दिनांक 10.4.2015 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.7.2015 से फर्म सुहाना स्टोन इण्डस्ट्रीज जर्ये पार्टनर मुबारिक अली पुत्र इश्हाक मोहम्मद निवासी 48, प्रगति नगर, प्रगति स्कूल के पीछे पुलिस लाईन कोटा एवं मोहम्मद नासिर पुत्र हमजा सुल्तान निवासी फकीरों के मन्दिर के पास करबला लाडपुरा कोटा के नाम है । जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कृत किया गया था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 27.10.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी के खाते मे ओवर ड्राफ्ट लोन (एसएमई) खाते (खाता नं0 365804000001?7) में रू0 16,16,719/– टर्म लोन– प्रथम

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

खाते, खाता नं0 36580600000612 में रू0 14,45,815–04/–, टर्म लोन–द्वितीय खाते, खाता नं0 36580600000439 में रू0 31,89,405–15/– टर्म लोन तृतीय खाते, खाता नं0 36580600000495 में रू0 8,12,012/– इस प्रकार कुल 70,63,951–19/– (अक्षरेः रूपये सत्तर लाख, तिरेसठ हजार, नौ सौ इक्यावन रूपये उन्नीस पैसे मात्र) दिनांक 31.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही सम्भलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किय । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की अचल सम्पत्ति मैसर्स सुहाना स्टोन इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर्स श्री मुबारक अली पुत्र श्री ईशाक मोहम्मद एवं श्री मोहम्मद नासिर पुत्र श्री हमजा सुल्तान की खसरा नं0 1604 का दक्षिणी हिस्सा, ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित औद्योगिक सम्पत्ति बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 0.28 हेक्टेयर जिसका कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा आदेश दिनांक 10.4.2015 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है । जो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.7.2015 से फर्म सुहाना स्टोन इण्डस्ट्रीज जर्ये पार्टनर मुबारिक अली पुत्र इश्हाक मोहम्मद निवासी 48, प्रगति नगर, प्रगति स्कूल के पीछे पुलिस लाईन कोटा एवं मोहम्मद नासिर पुत्र हमजा सुल्तान निवासी कीरों के मन्दिर के पास करबला लाडपुरा कोटा के नाम है । का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner